benches is going to daunt us.

As I said, it is a premedidated and deliberate murder. The State Government has washed its hands off by saying that they have banned the sale of arrack and, therefore, they have no obligation to pay any compensation. The Government thinks that people must drink as it brings money to the Government to take up welfare activities for the people!

उपाध्यक्ष सभा श्री शंकर दयाल सिंह): चलिये हो गया। श्री चतुरानन मिश्र।

श्रीमती रेणुका चौधरी: पहले आप पी लीजिये फिर हम आपका वैलफेयर करेंगे।

श्री खलीलुर रहमान: मुझे केवल एक जुमला बोलना है।

†[**شری خلیل الرحمن**: مجھے صرف ایک جملہ بولنا ہے۔]

उपाध्यक्ष सभा श्री शंकर दयाल सिंह): हो गया, हो गया। आपका जुमला सवेरे भी बड़ा अच्छा हो गया था।

श्री खलीलुर रहमान: एक ही जुमला.... (व्यवधान)

†[**شری خلیل الرحمن**: ایک ہی جملہ .. (مداخلت) ..]

उपसभाध्यक्ष श्री शंकर दयाल सिंह): तो बोल दीजिये।

श्री खलीलुर रहमान: तुलसी रेड्डी और डा0 शिवाजी के स्पेशल मेंशन से मैं अपने को एसोसिएट करता हूं और आपकी तवस्सुत से मैं हकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि वहां पर जूडीशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिये। इस वजह से पिछले एक महीने के अन्दर कड़वा डिस्ट्रिक्ट में मडकल और अलवल जो है वह बड़ी मुश्किल से हैदराबाद से 15–20 किलोमीटर के फासले पर हैं। वहां पर इतने भयानक वाकयात हुये है और वहां पर पर कई अकवात हो चुके हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आप यकीन मानिये कि पूरे आंध्र प्रदेश में इस किस्म की बीमारी हो जायेगी और पूरे मुल्क में (व्यवधान) मेरी मांग है कि इसके लिये जूडीशियल इंक्वायरी बिठाई जाय और अपराधियों को सजा दी जाय।

†[**شری خلیل الرحمن**: تلسی ریڈی اور ڈاکٹر شیواجی کے اسپیشل مینشن سے اپنے کو ایسوسی ایٹ کرتا ہوں - اور آپکے توسط سے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں پر جوڈیشل انکوائری بیٹھائی جانی چاہئے - اسوجہہ سے پچھلے ایک مہینے کے اندر کڑپا ڈسٹرکٹ کے اندر مڈکل اور الول جو ہیں وہ بڑی مشکل سے حیدرآباد سے ۲۰-۱۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر - وہاں اتنے بھیانک واقعات ہوئے ہیں اور وہاں پر کئی اموات ہو چکی ہیں کہ یہی سلسلہ جاری رہا تو آپ یقین مانئے کہ پورے (آندھرا پردیش) میں اس قسم کی بیماری ہو جائیگی اور پورے ملک میں (مداخلت) ... میری مانگ ہے کہ اسکے لئے جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے اور اپرادھیوں کو سزا دی جائے-]

Closure of Heavy Engineering Corporation, Ranchi

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये हैवी इंजीनियरिंग हटिया की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हटिया हैवी इंजीनियरिंग का क्या महत्व था और नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी तो उनके बहुत सुनहले सपने थे कि यह कारखाना ऐसा होगा जो दूसरे कारखानों को जन्म देगा। यहां पर ऐसी फोर्जिंग, फाउंडिंग और हैवी मशीनरी बनाई जाती है जो इस देश में इसके पहले कभी नहीं बनी थी। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन दुनियां की उन पांच कम्पनियों है जहां खदानों में चलाई जाने वाली ड्रग लाइन का निर्माण होता है। दुनियां में सिर्फ पांच

†[] Transliteration in Arabic Script.

[श्री चतुरानन मिश्र]

ऐसी कम्पनियां है । लेकिन इस कम्पनी की हालत बहुत खराब हो गई थी । उधर इधर मजदूरों, प्रबंधक और राज्य सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये जिससे इसकी हालत अच्छी हुई है । 1991–92 में जहां 32 करोड़ का घाटा लगा था, 1992–93 में जहां 61 करोड़ का घाटा लग गया था वहां 1993–94 में यह घाटा घट कर के 18 करोड़ हो गया । इस बीच में चार हजार मजदूरों ने वालेंटरी रिटायर्मेंट भी ले लिया है । इधर लगातार बिजली की काफी आपूर्ति हटिया में हो रही है लेकिन सब से चिंतनीय बात यह है कि भारत सरकार इसके प्रति सौतेली मांग का व्यवहार कर रही है । यह केस बी०आई०एफ० आर० में चला गया था और उन्होंने बैंकों के जरिये इसकी वायेबल रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी लेकिन यह रिपोर्ट भारत सरकार के पास पड़ी है । इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । यह कितने दुख की बात है कि इतने महत्व की कम्पनी की यह दुर्दशा है । दूसरी बात यह है कि वहां पर जो मशीनरी लगी हुई है वह बहुत पुरानी हो चुकी है । एच०ई०सी० ने एक जर्मन कम्पनी के साथ मिल कर इसके माडर्नाइजेशन का एक प्रोग्राम बनाया जिसके लिये करीब दो सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है । अगर यह जर्मन कम्पनी यह मशीनें दोगी तो वह क्रेडिट पर देने के लिये भी तैयार है, यह नहीं कि भारत सरकार को रुपया देना है । भारत सरकार को सिर्फ गारन्टर बनना है लेकिन भारत सरकार गारन्टर बनने के लिये भी इंकार कर रही है । नेहरू जी के सुनहले सपने को इस भारत भूमि पर चलाने के लिये भारत सरकार गारन्टर बनने का काम भी नहीं कर रही है । इसके अलावा एच०ई०सी० के पास काफी जमीन है । उसको बेच दिया जाय तो इससे दो सौ करोड़ रुपये आ जायेंगे लेकिन इसकी इजाजत भी भारत सरकार नहीं दे रही है । यहां पर दो-तीन सौ फ्लैटस भी हैं । अगर इनको बेच दिया जाये तो उससे भी रुपया मिल सकता है । यह भी भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है । इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में जो सामान बनता है वह स्टील प्लांट के लिये और कोल माइंस के लिये प्रयोग होता है और 20 करोड़ रुपये का सामान आर्डर के मुताबिक बनकर तैयार पड़ा हुआ है लेकिन न उसे कोई इंडिया उठा रहे हैं और न स्टील प्लांट वाले उठा रहे हैं । भारत सरकार ने छूट दे दी है जिससे वह विदेशों से सामान मगवा रहे हैं । इसके चलते एच०ई०सी० की हालत बहुत खराब हो गई है । मैं यह मांग करता हूं कि भारत सरकार अविलब बी०आई०एफ०आर० की रिपोर्ट पर कार्यवाही करे और इसके लिये जो दो सौ करोड़ रुपये के लिये गारन्टर बनने की बात है वह भी सरकार गारन्टर बनाने जाये ताकि यह काम आसानी से किया जा सके । जमीन बेचने और मकान बेचने के लिये भी सरकार अनुमति दे दे ताकि उस पैसे से कारखाने को चलाया जा सके । अन्त में मैं आपसे यह कहना चाहता हू कि स्टील अथार्टी आफ इंडिया, कोई माइंस और एच०ई०सी० तीनों मिल कर एक कंसोरशियम बनायें और इसको चलायें ताकि अच्छी क्वालिटी की मशीनरी पैदा हो, समय पर आर्डर की पूर्ति की जा सके । जहां तक दाड़का प्रश्न है, इसके मुख्यतः खरीदार स्टील अथार्टी आफ इंडिया और कोल माइंस हैं, इस लिये तीनों को मिला कर जल्द से जल्द चलाया जाये । मजदूर इसके लिए तैयार हैं और प्रबंधक भी प्रयास कर रहा है लेकिन सरकार कुंभकरण की तरह सोई हुई है । इसलिये मैंने यह विशेष उल्लेख किया है और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस नींद को तोड़ने के लिए अगर तो शब्द तीर के रूप में आप चला दें तो कुछ हो सकता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) मिश्रा जी आपने जो गंभीर मामला उठाया है, मुझसे भी कहा है कि तीर की तरह चलाऊ । मैं तीर की तरह तो नहीं चला सकता लेकिन इस सदन में यह कई बार यह मामला उठा है । समझता हू कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिये ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): On this special mention?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY; No. You had not permitted to lay papers on the Table. Actually, in writing the Deputy Chairman has permitted me to lay...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Has she permitted you?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Yes, it is in writing.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : अगर राइटिंग में उन्होंने दिया है तो आप बोलिये ।

I have not permitted you. But if she has already permitted, then why are you...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Therefore I would like it to be laid on the Table—just the record to be corrected there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): On her name. Yes, Mr. Roy, do you want to say anything?

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I share the opinion expressed by Mr. Chaturanan Mishra, that the Government of India is showing a stepmotherly attitude towards HEC and MAMC. They are not placing orders. They are placing orders outside. Money was not being given. It was agreed by the Prime Minister and the Finance Minister that whenever the management and the unions will place a joint revival plan before the BIFR, the GIFR will give automatic consent to that. But the Government is going back. Therefore, the Government must take immediate steps for the revival of both the HEC and MAMC factories.

Alleged Improper formation of and Discrimination against the National Commission for backward classes

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का ध्यान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की दयनीय दशा की ओर दिलाने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यों तो भूल से यह देखा गया है कि जब-जब किसी भी वर्ग द्वारा उसके हित, विकास, कल्याण सबंधी मांगों का दबाव सरकारों पर पड़ा तो सरकारों ने बजाय सीधे कार्यवाही करके और व्यवहारिक दृष्टि से उनकी मांगों का क्रियान्वयन करने की बजाय या तो कमेटियों का गठन किया या आयोगों का गठन किया या कानून बना दिये । लेकिन आम तौर से यह देखा गया है कि जितनी कमेटियां बनी हैं, आयोग बैठाये गये हैं, कानून बने हैं शायद ही इनके द्वारा वांछित गतव्यों, मतव्यों और उद्देश्यों की पूर्ति हुई हो । मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं । अभी पिछले 2–3 वर्षों में मैंने संसद में देखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग बना, उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग बना, उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना, उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना और फिर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की घोषणा हुई । आखिर इन आयोगों के गठन का मंतव्य क्या था – जो भारत के संविधान में प्रावधान है और अध्यादेश है इन वर्गों का हित, विकास और कल्याण उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं होता उसकी तहकीकात ये आयोग करेंगे । लेकिन जब आयोगों का गठन समुचित नहीं होगा और जो आवश्यक बिन्दु हैं जो आवश्यक वस्तुए हैं जो आवश्यक कार्य हैं इन आयोगों के गठन के वे नहीं होंगे तो क्या होगा । मान्यवर, किसी भी आयोग या संगठन के सुसंचालन के लिये कार्यक्रम चाहिये, कोष चाहिये, कर्मचारी चाहिये । मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि विशेषकर पिछड़ा वर्ग आयोग और ये जितने आयोग हैं उनके संबंध में–आज एक दूसरा भी आपके सामने विशेष उल्लेख है महिला आयोग से संबंधित– कि न तो इनको